

**पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के वि०ख० पाबों और खिर्शू की बिदोली पेयजल योजना के विस्तृत आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03 सितम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त**

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :-

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ० वी० षण्मुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री उदय राज सिंह, एम०डी०, जल निगम, उत्तराखण्ड।
4. श्री एस०के० शर्मा, सी०जी०एम०, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री डी०डी० डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री के०के० रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
8. श्री एस०सी० पन्त, सी०ई०(एच०क्यू०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
9. श्री संजय सिंह, एस०ई० उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी गढ़वाल।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :- पेयजल की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गांवों में वर्तमान में स्थापित पेयजल लाईने क्षतिग्रस्त होने के कारण मानकों के अनुसार पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है फलस्वरूप जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नई पेयजल योजना गठित की गयी है।

2. **भूमि की उपलब्धता** :- विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।

3. **योजना प्राविधान** :- योजना में गुरुत्व आधारित सोर्स उपलब्ध न होने के कारण अलकनंदा नदी पर इन्टेक वैल निर्मित कर चार स्टेज पम्पिंग आधारित योजना है जिसमें निम्नानुसार प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं :-

- आर०सी०सी० Dry Intake Well - 01 संख्या।
- 1.5 एम०एल०डी० क्षमता का Rapid Sand Gravity Filtration Plant
- 400 कि०ली० क्षमता एक Sump।
- पम्प हाउस (साईज 7.00 x 6.00 मीटर) - 01 संख्या।
- टाईप-1 - स्टाफ क्वाटर।
- 600 कि०ली० क्षमता का मुख्य शीर्ष जलाशय।
- 100 कि०ली०, 120 कि०ली० एवं 110 कि०ली० क्षमता के 03 संख्या CWR।
- 1500 एल०पी०एम० डिस्चार्ज के दो पम्प इन्टेक वैल पर प्रस्तावित किये गये हैं।
- 1300 एल०पी०एम० डिस्चार्ज 590 मीटर हैड दो पम्प आई०पी०एस० पर,
- 1300 एल०पी०एम० डिस्चार्ज 540 मीटर हैड, दो पम्प आई०पी०एस० पर,
- 1200 एल०पी०एम० डिस्चार्ज 535 मीटर हैड, दो पम्प अन्तिम आई०पी०एस० पर प्रस्तावित किये गये हैं।
- ट्रांसफार्मर 100 के०बी०ए०, 400 के०बी०ए० एवं 250 के०बी०ए० 06 संख्या।
- Service Reservoir - पूर्व स्थापित कार्यशील-31 संख्या तथा 60 संख्या नये प्रस्तावित।
  - i- राईजिंग मेन - 150 एम०एम० व्यास डी०आई०-K-9 पाईप - 37 मीटर लम्बाई।
  - ii- MSERW Pipe 150 mm dia 4.00 mm thick - 450 mtr.

*Sant*

iii- API Pipe 150 mm dia 7-1 mm thick -14450 mtr.

**Total Rising Main -14990 mtr.**

**Supply Main -**

i- GI Pipe 25 mm dia to 100 mm dia 117331 mtr

ii- API 50 mm dia 4.80 mm thick pipe - 10,123 mtr.

iii- MSERW 65 mm dia 4 mm thick pipe - 720 mtr.

iv- API 65 mm dia 6.4 mm thick - 10,880 mtr

**Total - 21830 mtr.**

➤ **Distribution System - GI pipe (20 mm to 50 mm dia) - 88,832 mtr.**

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :-**

- 4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2021 को सम्पन्न हुई।
- 4.2 योजना के अन्तर्गत कुल 3867 हाउस होल्ड है जिनके सापेक्ष 1700 FHTC प्रदान किये जाने हैं।
- 4.3 प्रस्तावित पेयजल योजना ग्राम सभा में ग्राम योजना, जिला जल एवं स्वच्छता समिति तथा एस0एल0एस0सी0 की बैठक से अनुमोदित है।
- 4.4 योजना के सम्बन्ध में जल स्रोत हेतु Source Finding Report योजना में सम्मिलित की गयी है।
- 4.5 पेयजल आपूर्ति का मानक शत-प्रतिशत जनसंख्या के लिए 55 एल0पी0सी0डी0 + 15 प्रतिशत अतिरिक्त मांग सम्मिलित करते हुए लिया गया है। स्कूल, आंगनवाडी गुरुद्वारा, मन्दिर, मजिस्ट, स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी समिति मजार, अस्पताल के लिए 45 एल0पी0सी0डी0 के अनुसार पेयजल की गणना की गयी है।
- 4.6 योजना का डिजाइन अवधि 30 वर्ष तक की ली गयी है। आधार वर्ष 2024 तथा डिजाइन वर्ष 2054 रखा गया है।
- 4.7 योजना में जनसंख्या की गणना आधार वर्ष 2024 में 18,537 एवं डिजाइन वर्ष 2054 में 24,470 की गयी है, उक्त के अनुसार पेयजल की मांग आधार वर्ष में 1.096 के0एल0डी0 एवं डिजाइन वर्ष 2054 में 1.509 के0एल0डी0 आंकलित की गयी है।
- 4.8 योजना की प्रति व्यक्ति पेयजल की लागत आधार वर्ष 2024 में रू0 23,288 एवं डिजाइन वर्ष 2054 में रू0 17,642 आंकलित की गयी है।
- 4.9 योजना से वास्तविक आय आधार वर्ष 2024 में रू0 23.22 लाख की हानि एवं डिजाइन वर्ष में रू0 67.82 लाख की वार्षिक आय आंकलित की गयी है।
- 4.10 योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Item of work	Amount (Rs in Lakh)					Total Amount
		DSR	SOR (PWD)	SOR (UJN)	NSI	Deposit	
	<b>Water Supply</b>						
1	Intake Works	41.49	53.59	18.26	1.73		115.07
2	Treatment Plant	93.74	7.90	17.69	1.26		112.70
3	Rising Main	51.84	51.57	636.08	8.96		748.45
4	Storage Reservoir	0.00	11.06	174.96	4.20	6.07	196.29
5	Supply Main	14.85	8.64	868.14	1.63	35.42	928.68
6	Pump House	32.22	1.03	0.00	0.00	0.00	33.25
7	Staff Quarter	58.39	1.56	0.00	0.94	0.00	60.89
8	Miscellaneous Work	26.84	3.27	0.00	0.00	0.00	30.11
9	Distribution System	32.06	40.81	295.77	0.00	0.00	368.64
10	Water Sample Testing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

*Spant*

11	Expenditure on Trial & Testing	0.00	0.00	0.00	5.17	0.00	5.17
12	Cartage of Material	0.00	0.00	94.28	0.00	0.00	94.28
13	Abstract of cost for PWD road cutting	0.00	0.00	0.00	0.00	224.80	224.80
	<b>Total Cost of Civil work</b>	<b>351.43</b>	<b>179.43</b>	<b>2105.18</b>	<b>23.89</b>	<b>266.29</b>	<b>2926.22</b>
	E & M Works	0.00	0.00	0.00	636.89	181.25	818.14
	<b>Total Cost of Work (Civil + E &amp; M)</b>	<b>351.43</b>	<b>179.43</b>	<b>2105.18</b>	<b>660.78</b>	<b>447.54</b>	<b>3744.36</b>
	Cost Index @ 8%	28.11					
	<b>Total</b>	<b>379.54</b>	<b>179.43</b>	<b>2105.18</b>	<b>660.78</b>	<b>447.54</b>	<b>3772.47</b>
	Contingencies						79.92
	GST						274.15
	<b>Total</b>						<b>4126.54</b>
	Community contribution @5% (-)						(-) 18.43
	Govt. Share on Water Supply Cost						4108.11
	Dovetail From MGNREGA / 15 <sup>th</sup> Finance						457.32

**JJM Cost - Rs 4108.12 lakh**

**Convergence Cost - Rs 457.32 lakh**

**Community Contribution - Rs 18.43 lakh**

**परियोजना की कुल लागत :- रू0 4583.87 लाख**

4.11 राज्य योजना आयोग में आगणन के परीक्षण में रू0 740.73 लाख की कटौती प्रस्तावित की गयी है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों की लागत रू0 4108.12 लाख, Convergence Cost की लागत रू0 457.32 लाख एवं Community Contribution मद में लागत रू0 18.43 लाख है।

#### 5. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :-

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार-4.10 (Summary of Cost) में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 4583.87 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :-

- 5.1 समिति को अवगत कराया गया है कि आगणनों का गठन Consultants द्वारा किया गया है अतः निर्माण से पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त पेयजल योजना के Most Economic / Technically feasible विकल्प का चयन कर यह प्रमाण पत्र देगे कि इससे अधिक मितव्ययी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तदनुसार नियोजन विभाग को भी अवगत करायेगे।
- 5.2 जनसंख्या की गणना के सम्बन्ध में तहसील से पिछले दो दशक के आकड़ों के आधार पर जनसंख्या की गणना करने के उपरान्त ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाये।
- 5.3 विभाग/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगे कि डिजाइन वर्ष की मांग के अनुरूप न्यूनतम जल की मात्रा जल स्रोत में योजना की डिजाइन अवधि तक अवश्य उपलब्ध रहें।




- 5.4 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, ईट, cement, Steel, Pipe एवं अन्य निर्माण सामग्री का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।
- 5.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।
- 5.7 योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाय।
- 5.8 आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।
- 5.10 कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय।
- व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1-5.10 तक निहित शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों पर शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।



  
( मनीषा पंवार )  
अपर मुख्य सचिव


उत्तराखण्ड शासन,  
राज्य योजना आयोग  
(नियोजन विभाग)

संख्या 1137/746/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/ पेयजल/2021-22

देहरादून: दिनांक: 16, सितम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

  
(डॉ० वी० षम्ममूर्गम)  
सचिव (प्रभारी)